

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2018)

**THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND
OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2018**

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

- Short title, extent and commencement.** 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2018.
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- Amendment of Schedule.** 2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 8 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Maharishi University of Management and Technology	Maharishi Shikshan Sansthan	Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) and approved under Registrar of Society, Delhi, Administration Delhi	Village-Mangla, Tehsil and District-Bilaspur, Chhattisgarh (General Area)	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - <ul style="list-style-type: none"> • Sanskrit Based courses/ Yoga, Vedic Science, Jyotish, Kirtan and Other Darshans • Business Administration/ Commerce/ Management/ Finance • Fine Arts/Performing Arts/ Visual Arts/ Applied Arts • Hotel Management/ Hospitality/Travel and Tourism • Arts/ Humanities/ Social Sciences/ Science • Engineering/Design"

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 667]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2019 — आश्विन 22, शक 1941

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2019/38-2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 1012/प्र.परि./प्र.अध्या./महर्षि यू./2019/10433, दिनांक 27-08-2019 द्वारा महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ग्राम-मंगला, तहसील एवं जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 82 तक का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (5) एवं धारा 28 (4) के तहत किया गया है।

- राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 अगस्त 2023 — श्रावण 30, शक 1945

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 अगस्त 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2019/38-2. - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 1012/प्र.परि./प्र.अ./महर्षि.यू./2018/17541, दिनांक 29/11/2022 द्वारा महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ग्राम-मंगला, तहसील एवं जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 83 से 92 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत किया गया है।

- 2/ राज्य शासन, एतद्वारा उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति संबंधित विभाग एवं विनियामक/सांविधिक अभिकरण से अनमति प्राप्त किये जाने की शर्त पर प्रदान करता है।
- 3/ उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव.